प्रेषक,

02 आवंटन

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
उप निदेशक (पं0),
पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।

लेखाशीर्षक–3604001960301
3604001970301
3604001980301

संख्याः 1/शा0/23/2025–1/13/2025 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2025

विषयः पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह मई,2025 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेष सं0–13/2025/बी–2–221/दस–2025/10–14002(002)/1/2021, दिनांक 20 मई, 2025 के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अनुदान सं0–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के "लेखाशीर्ष–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" में पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि **रू0–10800.00 करोड़ में से माह मई, 2025 के लिये रू0–900.00 करोड़** त्रिस्तरीय पंचायतों को जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया गया है।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिय गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

2– पंचायती राज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में बैंक खाते में नही रखी जायेगी।

3– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर सीधे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

4– योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई0एफ0एस0सी कोड जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

5– धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नही होगा।

7– योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षो के नामे डाला जायेगा :–

क0सं0	पंचायत	लेखाशीर्ष	धनराशि करोड़ में
1	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–196–जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेषन–01–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	135.00

Scanned with OKEN Scanner

2	ब्लाक पंचायत / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–197–ब्लाक परिषद / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	**135.00**
3	ग्राम पंचायत	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01–सामान्य समनुदेशन–28–समनुदेशन"	**630.00**
		योग	**900.00**

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–65 पर अंकित है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा0 / 23 / 1 / 2025, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3– विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20–05–2025 के क्रम में।
4– निदेशक, पंचायती राज (लेखा) दसवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5– संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8– समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
9– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
11– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
12– उप निदेशक (पं0) / योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल पंचायती राज संस्थाओं के खातों में धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
13– उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
14– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

23/05/25

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/05/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-23-2025-1-13-2025
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-13-2025
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1350000000 2700000000	1350000000 2700000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1350000000 2700000000	1350000000 2700000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब पैंतीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब सत्तर करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by AMITOSH SRIVASTAVA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2025.05.23 06:24:16 +05:30

Scanned with OKEN Scanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/05/2025

प्रेषण संख्याः- 1-sha-23-2025-1-13-2025
आवंटन आदेश संख्याः- 004-1-13-2025
अनुदान संख्याः- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षकः- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

197 - ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1350000000 2700000000	1350000000 2700000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1350000000 2700000000	1350000000 2700000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब पैंतीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब सत्तर करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by AMITOSH SRIVASTAVA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2025.05.23 06:25:05 +05:30

Scanned with OKEN Scanner

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-23/05/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-23-2025-1-13-2025
आवंटन आदेश संख्या:- 004-1-13-2025
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	6300000000 12600000000	6300000000 12600000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6300000000 12600000000	6300000000 12600000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: अरब तीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह अरब साठ करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by AMITOSH SRIVASTAVA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2025.05.23 06:26:04 +05:30

Scanned with OKEN Scanner